निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या:–61/2022(रे0वाद)
दायर दिनांकः– 04/04/2022
निर्णय दिनांकः– 29/08/2025

अनवान

1. मधुसुदन पिता खुबीलाल जाति सुनार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. राधादेवी पत्नी खुबीलाल जाति सुनार निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–––वादीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता नाथू जाति कलाल निवासी सोपरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द

–––प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से – श्री उग्रप्रतापसिंह, अधिवक्ता।

–:निर्णयः–

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88, 188 के तहत हाजा न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सोपरी पटवार मण्डल दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द अवस्थित आराजी संख्या 29 किस्म गै0मु0आ0चा0 में वादी ने खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण द्वारा

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उक्त प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया– वादी द्वारा आप न्यायालय मे एक वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी की कृषि भुमि के कुए आराजी संख्या 29 जो ग्राम सोपरी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द मे स्थित है, पेश किया गया है। उपरोक्त वादग्रस्त कुए के बाबत् वाद आप न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध वादी के पिता खूबीलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसके प्रकरण संख्या 36/2017 रे.वा फैसल दिनांक 21/06/2017 है। जिसमे भी वादी द्वारा कुंए के लिए वाद प्रस्तुत किया गया व कुएं की आराजी नंबर भी नहीं दर्शाये गए एवं उक्त वाद में प्रतिवादी के जवाब के बिना एवं बिना किसी आपसी राजीनामा के लोक अदालत मे निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि वास्तविकता में उस समय प्रतिवादी के नाम पर उक्त कुआ था ही नहीं एवं ना ही मौके पर कोई कुआ था। कुआ आराजी नंबर 29 प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2019 में निर्माण कराया गया था। यदि उस समय प्रतिवादी के नाम पर कोई हुआ था तो वादी के वाद में अपने नाम पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष लेना चाहिए था। उक्त अनुतोष का लोप किया गया। जिससे उपरोक्त वाद उक्त निर्णय से प्रभावित होने के कारण यह दूसरा वाद विधि द्वारा वर्जित है।उपरोक्त वाद समान वाद हेतु व समान पक्षकार के विरूद्ध पुर्व मे आप न्यायालय में विनिश्चित किया जा चुका है। इसलिये यह दुसरा वाद रेसजुडीकेटा अन्तर्गत धारा 11 सिविल प्रकिया सहिता के तहत विधी द्वारा वर्जित है।अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरौक्त वाद रेसजुडीकेटा अन्तर्गत धारा 11 सिवित प्रकिया सहिता के तहत विधी द्वारा वर्जित होने के कारण सव्यय खारिज फराया जावे ।

अधिवक्ता वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जबाब पेश नही कर चाहा सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रकरण में उभय पक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

Provision

प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 का अवलोकन किया जाना प्रासंगिक है। जिसका उद्धरण इस प्रकार है:–

11. Res judicata.—No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.

Explanation I.—The expression "former suit" shall denote a suit which has been decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto.
Explanation II.—For the purposes of this section, the competence of a Court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such Court.
Explanation III.—The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted, expressly or impliedly, by the other.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

Explanation IV.—Any matter which might and ought to have been made ground of defence or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit.
Explanation V.—Any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall for the purposes of this section, be deemed to have been refused.
Explanation VI.—Where persons litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall, for the purposes of this section, be deemed to claim under the persons so litigating .
Explanation VII.—The provisions of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references, respectively, to a proceeding for the execution of the decree, question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that decree.
Explanation VIII. —An issue heard and finally decided by a Court of limited jurisdiction, competent to decide such issue, shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding that such Court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised.

1. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के प्रावधान की माननीय न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7653–7654 / 1997 उनवान V. Rajeshwari vs T.C. Saravanabava में दिनांक 16.12.2003 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के पश्चातवर्ती दावे पर अनुप्रयोग (Application) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

The plea of res judicata is founded on proof of certain facts and then by applying the law to the facts so found. It is, therefore, necessary that the foundation for the plea must be laid in the pleadings and then an issue must be framed and tried. A plea not properly raised in the pleadings or in issues at the stage of the trial, would not be permitted to be raised for the first time at the

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

stage of appeal (See: (<u>Raja) Jagadish Chandra Deo Dhabal Deb Vs. Gour Hari Mahato & Ors.</u> AIR 1936 Privy Council 258, Medapati Surayya & Ors. Vs. Tondapu Bala Gangadhara Ramakrishna Reddi & Ors. <u>AIR 1948 Privy Council 3, Katragadda China Anjaneyulu & Anr. Vs. Kattragadda China Ramayya & Ors.</u> AIR 1965 A.P. 177 Full Bench). The view taken by the Privy Council was cited with approval before this Court in <u>The State of Punjab Vs. Bua Das Kaushal</u> (1970) 3 SCC 656. However, an exception was carved out by this Court and the plea was permitted to be raised, though not taken in the pleadings nor covered by any issue, because the necessary facts were present to the mind of the parties and were gone into by the Trial Court. The opposite party had ample opportunity of leading the evidence in rebuttal of the plea. The Court concluded that the point of res judicata had through out been in consideration and discussion and so the want of pleadings or plea of waiver of res judicata cannot be allowed to be urged.

उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मूलतः एवं सारतः वाले पूर्ववर्ती वाद के सक्षम न्यायालय में निर्णित रहते हुए समान पक्षकारों के मध्य समान विषय–वस्तु को लेकर वर्तमान वाद के विचारण के न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वादपत्र की तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में पत्रावली व प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पूर्व वाद और वर्तमान वाद दोनो में विवादित भूमि खसरा संख्या 29 ग्राम सोपरी में स्थित कुआं ही केन्द्र में है। पूर्ववर्ती व वर्तमान वाद में पक्षकार समान है। दोनों वाद का वाद हेतुक समान

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

है। पूर्ववर्ती वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2017 को निर्णय पारित किया गया, जो अंतिम रूप से निष्पादित है वादी द्वारा पूर्ववर्ती वाद में राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटि यदि भी थी, तो उसे पूर्व वाद में अंकन किया जाना चाहिए था।

इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के तहत पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद में विवाद की मुख्य विषय वस्तु समान होने पर पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने के प्रावधान हैं। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमाना वाद और पूर्ववर्ती वाद विषय, पक्षकार एवं कारण से पूर्णतः समान है। पूर्व निर्णय दिनांक 21.06.2017 सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पारित हो चुका है। वर्तमान वाद रेसजुडीकेटा से बाधित है और विचारणीय नहीं है। अतः आदेश दिया जाता है कि–

प्रतिवादी का उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29 / 08 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द
सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द